न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, पुष्पा सत्यानी, आर.ए.एस

1. **अपील संख्याः 23/20** — **निर्णय दिनांकः**–22-2-21
(जीसीएमएस संख्या 2020/00101)

1. इन्दिरा पत्नी राकेश जाति पालीवाल निवासी चानी तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत।

–रेस्पोडेन्ट

2. **अपील संख्याः 24/20**
(जीसीएमएस संख्या 2020/00102)

1. कमला पत्नी देव प्रकाश जाति पालीवाल निवासी चानी तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत।

–रेस्पोडेन्ट

3. **अपील संख्याः 25/20**
(जीसीएमएस संख्या 2020/00103)

1. विद्यादेवी पत्नी राजकुमार जाति माली निवासी धावड़ियो का मौहल्ला पुरानी गिन्नाणी तहसील व जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.12 11:15:22 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलें विरुद्व निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, कोलायत
दिनांक 27–02–2020

उपस्थितः

1. श्री हनुमान गिरी, अभिभाषक अपीलांट्स

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के निर्णय व डिक्री दिनांक 27–02–2020 जिसके द्वारा स्टेट का वाद स्वीकार किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गयी।

3. तीनों पत्रावलियों में निर्णय किये जाने हेतु वैधानिक बिन्दु समान होने के कारण उपरोक्त तीनों पत्रावलियों को एक कॉमन निर्णय से निर्णित किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति सभी पत्रावलियों में सुरक्षित रखी जावे।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने तीनों पत्रावलियों में अपनी बहस में बताया कि अपीलांट इन्दिरा पत्नी राकेश की एक संयुक्त खातेदारी भूमि चक चानी के खसरा नम्बर 139 रकबा 2.53 हेक्टर भूमि स्थित है। इसी प्रकार अपीलांट कमला पत्नी देवप्रकाश की खातेदारी भूमि ग्राम चक चानी के खसरा नम्बर 142 रकबा 2.53 हेक्टर भूमि व अपीलांट विद्यादेवी पत्नी राजकुमार की खातेदारी भूमि ग्राम चक चानी के खेत खसरा नम्बर 162/94 रकबा 0.66 हेक्टर भूमि निहित है। जिस पर अपीलांट्स का आज दिनांक तक निरन्तर कब्ज काश्त चला आ रहा है तथा मौके पर अपीलांट परिवार सहित ढाणी बनाकर निवास कर रहा है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत के समक्ष स्टेट जरिये तहसीलदार द्वारा वादपत्र प्रस्तुत किया गया, उक्त वादपत्र अदालत मातहत के समक्ष प्रतिवादीगण के [illegible]तु निर्धारित चल रहा था। जिसमें जवाब हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 27–02–2020 निर्धारित थी। अदालत मातहत द्वारा उक्त तारीख पेशी से पूर्व ही दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Puspa Satyani
Date: 2021.03.12 11:45:22 IST
Reason: SelfAttested

19—02—2020 निर्धारित करते हुए स्टेट के दावे को बिना जवाब प्रस्तुत कराये ही एकतरफा तौर पर आदेश जैर अपील पारित करते हुए अपीलांट्स की खातेदारी भूमि को आराजीराज दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व धारा 177 के प्रावधानों की पालना नहीं की है। जोकि अदालत मातहत के लिये बाध्यकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद में ना तो तनकी कायम की ना ही साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया। स्टेट की तरफ से जो दावा प्रस्तुत किया गया है वह दावे की श्रेणी में नहीं आता है, परन्तु अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। अपीलांट्स द्वारा अपनी खातेदारी भूमि न तो पूर्व में न ही आज दिनांक तक किसी प्रकार का कोई अकृषि का कार्य अर्थात ईट भट्टे का निर्माण किया गया है। अदालत मातहत द्वारा तथ्यों के विपरीत जाकर मात्र संबंधित तहसीलदार के कथन पर विश्वास करते हुए अपीलांट्स की खातेदारी भूमि को आराजीराज दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है। जिसकी कानून अनुमति प्रदान नहीं करता है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के समक्ष तहसीलदार राजस्व कोलायत ने अपीलांट् के विरूद्व वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 27—02—2020 को स्टेट का दावा स्वीकार करते हुए अपीलांट्स की खातेदारी भूमि को आराजीराज दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है। ज़िससे व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में अपीलांट्स की मुख्य आपत्ति यह है कि अदालत मातहत के समक्ष प्रकरण प्रतिवादीगण के जवाब हेतु निर्धारित चल रहा था तथा प्रकरणों में आगामी तारीख पेशी दिनांक 27—02—2020 निर्धारित की गई थी, जबकि अदालत मातहत द्वारा उक्त तारीख पेशी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.12 11:45:22 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

से पूर्व ही पत्रावली दिनांक 19—02—2020 को निर्धारित करते हुए आदेश जैर अपील पारित किये गये है।

इस संबंध में हमने अदालत मातहत की पत्रावली व अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरणों में स्टेट जरिये तहसीलदार, कोलायत द्वारा अपीलांट्स/प्रतिवादीगणों के विरूद्व धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादपत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि अपीलांट्स द्वारा अपनी कृषि भूमि ईंट भट्टों का निर्माण करते हुए कृषि भूमि पर अकृषि कार्य किये जाने के फलस्वरूप अपीलांट्स की खातेदारी भूमि को आराजीराज दर्ज की जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

प्रकरण में स्टेट द्वारा वादपत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा प्रतिवादीगणों को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन जारी करने के फलस्वरूप प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता अदालत मातहत के समक्ष वर्ष 2019 में उपस्थित आ चुके थे तथा उनके उपस्थित आने के उपरान्त अदालत मातहत द्वारा जवाब हेतु पर्याप्त समय प्रदान किये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादीगणों की तरफ से जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण दिनांक 19—02—2020 को जवाब बन्द करते हुए दिनांक 24—02—2020 को पत्रावली बहस हेतु दिनांक 27—02—2020 निर्धारित की गई थी। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का यह कथन कि पत्रावली में दिनांक 19—02—2020 निर्धारित करते हुए निस्तारण किया गया है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है। अपीलांट्स इस तथ्य को स्वीकार कर रहे है कि अदालत मातहत द्वारा पूर्व में दिनांक 27—02—2020 निर्धारित की गई थी, तो ऐसी स्थिति में उक्त दिनांक अर्थात दिनांक 27—02—2020 को वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु बाध्य थे। नियत दिनांक को न्यायालय के प्रतिवादीगणों/अपीलांट्स के उपस्थित नहीं आने पर अदालत मातहत द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

प्रकरण में संबंधित पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत की गई है। जिसमें नजरी नक्शें में ईंट भट्टा अंकित करते हुए अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अभि[illegible] किया गया है कि मौके पर ईंट भट्टा लगा हुआ है। [illegible] अपीलांट्स द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय [illegible] के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.12 11:15:22 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

गया है जिससे साबित हो कि अपीलांट्स द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर अकृषि कार्य नहीं किया गया है। अपीलांट्स द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष वादग्रस्त भूमि के सपंरिवर्तन कराये जाने के संबंध में की गई कार्यवाहियों के संबंध में भी किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे कि अपीलांट के इस कथन को बल मिलता हो कि उसके द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर अवैध रूप से ईंट भट्टे का निर्माण नहीं करते हुए कृषि कार्य किया गया हो। पटवारी हल्का की रिपोर्ट से यह साबित है कि अपीलांट्स ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर अकृषि कार्य करते हुए अवैध ईंट भट्टे का निर्माण किया है, अर्थात कृषि प्रयोजनार्थ भूमि की किस्म में परिवर्तन करते हुए कृषि से अकृषि कार्य किया हुआ है। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपीलों में भी अदालत मातहत द्वारा की गई प्रक्रियात्मक कार्यवाहियों का ध्यान न्यायालय की तरफ आकर्षित किया गया है, अपीलांट्स द्वारा अपनी अपीलों में यह कहीं भी अंकित नहीं किया गया है कि उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि ईंट भट्टे का निर्माण नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का उक्त कृत्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण अपीलांट्स मात्र तकनीकी बिन्दुओं अथवा अदालत मातहत द्वारा गई प्रक्रियात्मक कार्यवाहियों का सहारा लेकर प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपीलें खारिज की जाती है एवं एवं उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के निर्णय व डिक्री दिनांक 27–02–2020 यथावत बहाल रखे जाते है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 22-2-21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पु... सत्यानी)
...अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.12 11:15:22 IST
Reason: SelfAttested